हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

तेरहवां सत्र

वीरवार, 22 दिसम्बर, 2016/1 पौष,1938 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए

} पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 की धारा 12(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 29वां संकलित वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक(डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखेंगी ।

(3) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा विधिक सेवा प्राधिकरणों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2012-13 (01-04-2012 से 31-03-2013 तक) (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री जी0 एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारन का निवारण) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: इण्ड-II(एफ)6-14/2014 दिनांक 13.3.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.3.2015 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, रेशम अधिकारी, वर्ग-II(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: इन्ड-ए(बी)2-1/98-पार्ट-II दिनांक 22.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.11.2016 को प्रकाशित;

(iii) राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act, 1951) अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम की ऑडिट रिपोर्ट (31 मार्च, 2016 तक), वर्ष 2015-16; और

(iv) राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act, 1951)अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2015-16 ।

(6) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;

(ii) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन; और

(iii) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 36 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0(3)13/2015-लूज़ दिनांक 05.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित।

(7) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(8) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पी.सी.एच.-एच.ए.(1)11/2010-II दिनांक 08.9.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.9.2016 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पीसीएच-एचए(4)1/94 दिनांक 20.5.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.5.2016 को प्रकाशित ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **161वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **162वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 137वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **60वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 40वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **61वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (वाणिज्यिक) में शामिल ऑडिट पैरा संख्या:2.9, 2.10.1, 2.16.4 तथा 2.16.5 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **62वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 34वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **63वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 35वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **30वां मूल प्रतिवेदन** जोकि हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित गतिविधियों की संविक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों पर आधारित तथा **भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **24वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

4. <u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:</u>

कार्य-सलाहकार समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. मन्त्री द्वारा वक्तव्य:

श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, दिनांक 26 अगस्त, 2016 को सभा में पारित गैर-सरकारी सदस्य संकल्प **'प्रदेश में एक ही समुदाय व व्यवसाय से जुड़े तरखान जाति(OBC) को लोहार जाति की तर्ज पर अनुसूचित जाति (SC) में सम्मिलित करने हेतु'** प्रस्ताव पर कृत कार्रवाई बारे वक्तव्य देंगे ।

6. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

धर्मशाला-176215
दिनांक: 21 दिसम्बर, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'
तेरहवां सत्र

वीरवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्य के संकल्पों की सूचीः

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री महेन्द्र सिंहः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नोटबंदी को कड़ाई से लागू करके प्रदेश में भ्रष्टाचार व काले धन को रोकने हेतु ठोस पग उठाए जाएं ।"
2.	श्री रविन्द्र सिंहः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "खुदरो दरख्तान-तहज़मीन मालिकान-मलकियत सरकार" का मालिकाना हक प्रदेश के किसानों को दिया जाए। "
3.	श्री महेश्वर सिंहः	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों हेतु प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल पौधों इत्यादि का नियमानुसार मूल्याकंन किया जाए ।"

सचिव,
विधान सभा ।

* * * *